मुख्य अभियंता का कार्यालय
योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन
जल संसाधन विभाग, राँची

पत्रांकः 2/PMC/कार्य–140/06–खण्ड–1/..................................राँची, दिनांक ....

प्रेषक,

ई० अशोक कुमार,
मुख्य अभियंता

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
(लघु सिंचाई सहित)
जल संसाधन विभाग।

FAX

URGENT

विषयः– दिनांक 27.09.2011 को सम्पन्न झारखंड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद् की आहूत बैठक में प्राप्त निदेश पर कार्रवाई के संबंध में।

प्रसंगः– ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का पत्रांक **8390** राँची दिनांक 20.10.12

महाशय,

उपयुर्क्त विषयक संबंध में प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि निदेशानुसार पुरानी नहरों की सूची (लम्बाई सहित) संबंधित जिला के उपायुक्त को उपलब्ध कराते हुए इसकी सूचना विभाग को भी उपलब्ध कराई जाय।

अनुः– यथोक्त्।

विश्वासभाजन,

ह०/-
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

पत्रांकः 2/PMC/कार्य–140/06–खण्ड–1/.........944.........राँची, दिनांक 19/12/2012

प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर वेबसाइट, जल संसाधन विभाग, राँची इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर **"Wahat's new" (News & Events)** में **Upload** करेंगें।

अनुः– यथोक्त्।

19/XII/2012
(अशोक कुमार)
मुख्य अभियंता

E:\divya\3_PMC_karya_140_06.doc1

झारखण्ड सरकार

ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक – 4 – 301 (NREGA)/2005/ग्रा0 वि0 8390 राँची, दिनांक 20-10-12

प्रेषक,

अरूण

राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त।

सेवा में,

प्रधान सचिव,

जल संसाधन विभाग,

झारखण्ड, राँची।

4990

2/11/12

विषय :– **दिनांक 27.9.2011 को सम्पन्न झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की आहूत बैठक में प्राप्त निदेश पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

संदर्भ :– **विभागीय पत्रांक – 1744 दिनांक 14.3.2012**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि दिनांक 27.9.2011 को सम्पन्न झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की आहूत बैठक (कार्यवाही संलग्न) में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के नहर; जिनमें गाद का जमाव हो गया हो तथा इसके चलते नहर में पानी का प्रवाह नहीं हो पा रहा है – की सफाई मनरेगा की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। समिति के द्वारा उपर्युक्त सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके कार्यान्वयन हेतु माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव को पुरानी नहरों की एक सूची (लम्बाई सहित) सभी ज़िला के उपायुक्त को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया। माननीय उप मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा दिये गये उक्त निदेश के आलोक में जिलों को पुरानी नहरों की सूची (लम्बाई सहित) उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं, इसकी सूचना प्रासंगिक विभागीय पत्र द्वारा माँगी गयी थी। वांछित सूचना अबतक अप्राप्त है।

अस्तु अनुरोध है कि पुरानी नहरों की सूची (लम्बाई सहित) जिलों को उपलब्ध कराया गया अथवा नहीं, इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वास भाजन,

19-10-12

राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त।

EW-301 NREGA.doc

माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 27.9.2011 को आयोजित झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति :– संलग्न विवरणी अनुसार।

माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 27.9.2011 को झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की एक बैठक आयोजित हुई। उपर्युक्त बैठक में सर्व प्रथम विगत् दिनांक 18.2.2008 को आयोजित परिषद की बैठक की कार्यवाही एवं उस पर विभाग के द्वारा कृत कार्रवाइयों को पढ़कर सुनाया गया। आवश्यक विचारोपरांत परिषद् के द्वारा विगत् बैठक की कार्यवाही को सम्पुष्ट किया गया।

मजदूरी के भुगतान को सुगम एवं पारदर्शी बनाने के लिये प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत बैंक स्थापित करवाने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि जिला कार्यक्रम समन्वयक चिन्हित बैंकों के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पंचायत बैंक स्थापित करने की दिशा में त्वरित कार्रवाई करें। पंचायत बैंक को पंचायत सचिवालय/ पंचायत कार्यालय में ही स्थापित करवाने का निर्देश दिया गया। साथ ही सभी बैंकों के प्रमुखों की एक बैठक राज्य स्तर पर आहूत करने का निर्देश माननीय उप मुख्य (ग्रामीण विकास विभागीय) मंत्री महोदय के द्वारा दिया गया।

परिषद की बैठक में विगत् चार वित्तीय वर्षों के वार्षिक प्रगति के प्रतिवेदनों एवं चालू वित्तीय वर्ष की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की गयी। राष्ट्रीय स्तर पर झारखण्ड राज्य की तुलनात्मक प्रगति पर नरेगा आयुक्त के द्वारा एक पावर प्वाईंट प्रेजेन्टेशन किया गया। समीक्षा के क्रम में प्रो० रमेश शरण के द्वारा महिलाओं के लिये प्रति मानव दिवस मिट्टी की खुदाई की मात्रा को पुरूषों के द्वारा खुदाई की जाने वाली मात्रा से कम करने का सुझाव दिया गया। इस संदर्भ में माननीय विभागीय मंत्री महोदय के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मिट्टी कार्य पर ही ध्यान न देकर स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप अनुमान्य अन्य योजना को भी लेने पर ध्यान दिया जाना चाहिय। वृक्षारोपण एवं उसकी रखवाली के कार्यों में महिलाओं को नियोजन प्रदान कर मनरेगा में महिलाओं की सहभागिता के प्रतिशत् को बढ़ाने पर बल दिया जाना चाहिय। योजनाओं का चयन ग्राम सभा के द्वारा हों – इसे सुनिश्चित करने का निर्देश माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा दिया गया।

उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के द्वारा यह सुझाव दिया गया कि मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के नहर; जिनमें गाद का जमाव हो गया हो तथा इसके चलते नहर में पानी

03.11.2011

का प्रवाह नहीं हो पा रहा है – की सफाई मनरेगा की योजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है। समिति के द्वारा उपर्युक्त सुझाव पर सहमति व्यक्त की गयी। इसके कार्यान्वयन हेतु माननीय उप मुख्य मंत्री के द्वारा जल संसाधन विभाग के संयुक्त सचिव को पुरानी नहरों की एक सूची (लम्बाई सहित) सभी जिला के उपायुक्त को उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया गया।

ग्रामीण पथों तथा पथ निर्माण विभाग के सड़कों के किनारे कच्चा Drain तथा वृक्षारोपण कार्य मनरेगा के अन्तर्गत् लिये जाने पर समिति के द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही इन योजनाओं की जानकारी सम्बन्धित ग्राम सभा को भी देने का सुझाव दिया गया।

वन विभाग के गैर वन क्षेत्र के अन्तर्गत् मनरेगा के कार्यों में वनरक्षियों के स्थान पर मेट को लगाने का सुझाव दिया गया। वृक्षारोपण का कार्य महिलाओं की स्वंयसेवी संस्थाओं को देने एवं उनके द्वारा ही तीन वर्षो तक उसके रख–रखाव का सुझाव भी दिया गया।

बेहतर कार्यान्वयन हेतु सुझाव :–

1. MGNREGA के बेहतर कार्यान्वयन हेतु मेट के चयन के पश्चात् प्रशिक्षण कार्य में योग्य एवं लब्ध प्रतिष्ठित स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से चयनित सभी मेट को प्रशिक्षित किया जाय।
2. प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत बैक की स्थापना, डाक घरों में मजदूरी भुगतान हेतु अग्रिम राशि जमा रखने तथा मनरेगा श्रमिकों की मृत्यु अथवा दुर्घटना से ग्रस्त होने की स्थिति में अनुग्रह अनुदान एवं चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध करवाने के प्रावधान का व्यापक प्रचार–प्रसार करवाना।
3. विगत् दिनांक 01.8.2011 के पूर्व मनरेगा के अर्न्तगत् मृत श्रमिकों की सूची उपलब्ध करवाने का निर्देश माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा विभाग को दिया गया।
4. पाँच वर्षों की अवधि पूर्ण जॉब कार्डधारियों के पुनर्नवीनीकरण करने तथा इच्छुक श्रमिकों को नया जॉब कार्ड निर्गत् करना।
5. प्रत्येक जिला के लिये चयनित OMBUDSMAN को अनुमान्य सुविधाएँ यथा – कार्यालय कक्ष, वाहन एवं सहयोगी कार्मिक उपलब्ध करवाया जाय।
6. मनरेगा की योजनाओं के कार्यान्वयन में यदि किसी भी स्तर पर बिचौलिया की सहभागिता उजागर होता है; तो वैसे बिचौलिया के विरूद्ध कानूनी कार्रवाइयाँ की जायं।
7. OMBDUSMAN के निर्णयों के विरूद्ध अपील करने हेतु प्रावधान किये जाने के लिये उपायुक्तो के सुझाव पर एक समिति गठित कर विधिसम्मत कार्रवाइयाँ करने तथा विधि (न्याय) विभाग से आवश्यक परामर्श प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।

233

8. समिति की बैठक में लिये गये अन्य महत्वपूर्ण निर्णय निम्नवत् हैं –

क. प्रखण्ड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत मनरेगा कर्मियों को भुगतान किये जा रहे क्षेत्र भ्रमण–भत्ता एवं मोबाईल कूपन की सुविधा राशि को समिति के द्वारा अनुमोदित किया गया। इसे यथावत् रखते हुए मानदेय की राशि में निम्नवत् वृद्धि करने की स्वीकृति भी समिति के द्वारा प्रदान की गयी :–

क्र0	कार्मिकों का पद नाम	मासिक मानदेय की वर्तमान राशि (रूपये में)	समिति के द्वारा वर्द्धित राशि (रूपये में)
1	प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी	10,000.00	14,000.00
2	तकनीकी सहायक (सहायक अभियंता के समकक्ष)	8,000.00	12,000.00
3	कम्प्यूटर सहायक	7,500.00	8,000.00
4	लेखा सहायक	7,500.00	8,000.00
5	तकनीकी सहायक (कनीय अभियंता के समकक्ष)	5,000.00	9,000.00
6	ग्राम रोजगार सेवक	3,500.00	5,200.00

ख. मनरेगा मजदूरों को संगठित करने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु विभाग के द्वारा तैयार किये गये मनरेगा मजदूर समन्वय समिति मार्ग–दर्शिका को इस शर्त के साथ अनुमोदित किया गया कि समिति के अध्यक्ष एवं सचिव के रूप में कोई भी मनरेगा श्रमिक अधिकतम दो बार ही चयनित हो सकेगा।

ग. शिकायतों के त्वरित निष्पादन हेतु विभाग के द्वारा तैयार किया गया महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना – *" झारखण्ड पारदर्शिता एवं शिकायत निवारण नियामवली, 2011 "* के प्रारूप पर चर्चा की गयी।

घ. जिला स्तर पर विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच लगातार समन्वय स्थापित करना एवं स्थानीय समस्याओं पर सम्बन्धित कार्य एजेंसियों के साथ बैठक कर स्थानीय स्तर पर ही त्वरित समाधान उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक के द्वारा किया जाय; जिससे कि मनरेगा की योजनाओं के कार्यान्वयन में अनावश्यक व्यवधान उत्पन्न नहीं हो।

बैठक के अंत में माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये :–

I. झारखण्ड राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक नियमित रूप से आहूत की जाय। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर समिति की बैठक बीच में भी आहूत की जाय।

27.9.2011

II. ग्रामीणों की दैनिक समस्याओं का समाधान करते हुए आदर्श ग्राम के निर्माण में योगदान दें।

III. ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के कार्यान्वयन से ग्रामीणों को क्या लाभ हुए हैं – इसका मूल्यांकन किया जाय।

IV. मनरेगा के अन्तर्गत् निबंधित जॉब–कार्डधारियों की संख्या के अनुरूप कार्यों के लिये माँग में वृद्धि के लिये जागरूकता को बढ़ाया जाय। साथ ही मनरेगा की योजनाओं का कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप करवाया जाय।

03.11.2011

(आर0 एस0 पोद्दार)
सरकार के प्रधान सचिव

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

ज्ञापांक – 4–301/(NREGA)/2005/ ग्रा0 वि0 – 6840 राँची, दिनांक – 21.11.11

प्रतिलिपि :– सभी सदस्य/ सभी उपायुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त।

ज्ञापांक – 4–301/(NREGA)/2005/ ग्रा0 वि0 – 6840 राँची, दिनांक – 21.11.11

प्रतिलिपि :– माननीय मुख्य मंत्री, झारखण्ड सरकार के प्रधान सचिव/ माननीय उप मुख्य (ग्रामीण विकास विभागीय) मंत्री, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

राज्य ग्रामीण रोजगार गारंटी आयुक्त।